FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector
****

No. SML-SR (57)/2014 - 1244 Dated: 12/12/16

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 01-48-57 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, Shimla - Shimla Division Shimla for Construction of link road Bharadia to Kataiya Majhar (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla-Rurall in Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 01-48-57 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure____ to annexure______.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above

(Rohan Chand Thakur)
District Collector
Shimla, District (H.P.)
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMSSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 09-12-2016 at 4.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Kateya Majhar, Satlie, forest area(s) 01-48-57 ... ler FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla-Rural were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following ...licant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil—	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil—	

OR

As informed by SDO (Civil) Shimla-Rural, no application was received from Gram Sabha claiming right in 01-48-57 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 09-121-2016

Deputy Commissioner-Cum- Chairman

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 09-12-2016 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur,IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.

All the cases which were placed before the committee has been approved to be processed under FCA.

The meeting ended with vote of thanks.

(A. K. VERMA) (AMIT SHARMA) (H.K. Gupta)

(Shakti Thakur) (Amar Lal DFO RS) (B.L. Sharma DFO)

(Anita Kimta) Z.P. member Chopal. ( ) ( ) Nailam Ses Z.P. mb

Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

Office of the Sub Divisional Officer (Civil), Shimla (R) District Shimla (HP)

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional level Committee constituted under Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right Act (FRA) 2006

A Meeting of the Sub Divisional Committee oif Shimla rural sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of **Sh. Gian Sagar Negi, SDO (Civil) Shimla Rural** on 07-12-2016 at 12: 00 AM/PM at Shimla (Place) in which the Applications submitted by applicants/Department of **President Forest Right Committee, Vill- Kataiya Majhar, Panchayat Satlai** was discussed and recommended the same is to District Level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted.

S. NO.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	No claim from any body has been recieved	UPF Kataiya Majhar	Construction of road Bharadia to Kataiya Majhar, area measuring 01-48-57 Hect.

Claim of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S. NO.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			
2.			

OR

As informed by_______________Gram Sabha on application was received claiming rights in ___________________forest area.

Place: Shimla

Date: 07-12-2016

SDA (Civil) –Cum-Chairman/Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा कैथाँ-मझार

प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 07/08/2016

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा ग्राम कैथाँ-मझार की बैठक आज दिनांक 07/08/2016 को 4 बजे स्थान कैथाँ-मझार में श्री/ श्रीमति सेवक राम ठाकुर की अध्यक्षता में की गई जिसमें कैथाँ-मझार ग्राम की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र कोटी जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा मझड़िया से कैथाँ-मझार के निर्माण के लिए 00-88-44 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए ग्राम वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया—

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1 2	समस्त ग्राम वासी कैथाँ-मझार	U-277 (कैथाँ-मझार)	वन परिक्षेत्र कोटी किता 55 रकबा तादादी 00-88-44 हेक्टेयर

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :—

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	—
2	—

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित/~~निरस्त~~ करने की सिफारिश करती है।

या

............जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान कैथाँ-मझार

दिनांक 07/08/2016

अध्यक्ष हस्ताक्षर सचिव

प्रधान ग्राम सभा

वन अधिकार समिति

ग्रा0 कैथाँ-मझार ग्रा0 पं0 सल्लाई

* दावाकर्ता / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा कैंथां-मझार

विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 07-08-2016

गणपूर्ति 10/10 / 129/151 प्रस्ताव संख्या 2

विषय: लोक निर्माण विभाग/संस्था को मझाड़ियां से कैंथां-मझार के निर्माण हेतु U-277 जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित किता 55 रकबा तादादी 00-88-44 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा वन अधिकार समिति कैंथां-मझार की बैठक आज दिनांक 07-08-2016 को 4 बजे स्थान कैंथां-मझार की गई, जिसमें लोक निर्माण विभाग/संस्था को मझाड़ियां से कैंथां-मझार निर्माण हेतु U-277 जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित ______ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने सम्बंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित 00-88-44 हैक्टेयर वन भूमि का सड़क निर्माण निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा ग्राम कैंथां-मझार की सहमति दी जाती है।

स्थान कैंथां-मझार

दिनांक 07-08-2016

प्रधान सचिव

प्रधान

वन अधिकार समिति

ग्रा० कैंथा-मझार ग्रा० पं० सतलाई

3

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 200

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा सतलाई

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 12-08-2016

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा ग्राम पंचायत सतलाई की बैठक अ दिनांक 12-08-2016 को 02:00 बजे, स्थान सतलाई श्री/श्रीमति प्रोमिला की अध्यक्षता में की गई जिसमें ग्राम करैया-मक्कार गांव/गांवों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासि से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनि 2006 के अन्तर्गत U-27प (करैया-मक्कार) जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित व अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें निर्मित सड़क अरेड़िया से करैया-मक्कार के निर्माण के लिए 00-88-44 हेक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावि है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत च के उपरान्त यह ग्राम पंचायत इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति ग्रामवासी ग्राम करैया मक्कार जंगल/वन क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुस सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदानुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उ उच्च स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदानुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है

स्थान सतलाई
दिनांक 12-08-2016

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत सतलाई, तह. ... जिला
विकास खण्ड भटोली (हि.प्र.)

** प्रोजैक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि व उपयोग की अनुमति दी जानी है।

कार्यालय ग्रम पंचायत सतलाई डा. सतलाई
विकास खग्ड मशोबरा जिला शिमला हि.प्र. ।

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या– 10

जो दिनांक 12/8/16 को ग्रम सभा की बैठक में प्रधान श्री मती प्रोमिला की अध्यक्षता में 103/252 सदस्यों की उपस्थिति में पारित हुआ।

विषयः– <u>निर्माण सडक भराडिया से कटैंया मझार के अंतर्गत लगने वाली वनक्षेत्र भूमि बारे विचार।</u>

आज बैठक मे उपस्थित ग्रम सभा सदस्यो के समक्ष भराडिया से कटैंया मझार सडक निर्माण बारे प्रस्ताव रखा गया। यह कि उक्त सडक का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित है। इस सडक के अंतर्गत राजस्व ग्रम कटैंया मझार या इसके अतिरिक्त ग्रम पंचायत सतलाई के अंतर्गत लगने वाली वनभूमि बारे ग्रम सभा सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया।

विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि को लोक निर्माण विभाग को सडक हेतु अनुमति देने बारे ग्रम सभा सदस्यों को कोई आपति नही है। इस भूमि से सडक का निर्माण होने से ग्रम कटैंया मझार के अतिरिक्त ग्रम पंचायत सतलाई के अन्य गांवो के लोगों को भी फायदा है। अतः उक्त वनभूमि को सडक निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लाने बारे ग्रम सभा सतलाई द्वारा अपना अनापति प्रमाण पत्र जारी करती है तथा लोक निर्माण विभाग से अनुरोध करती है कि उक्त सडक का निर्माण शीघ्रातीशीघ्र किया जाये। प्रस्ताव की प्रति आगामी कार्यवाही हेतु उप–मण्डलाधिकारी (ना.) महोदय, शिमला (ग्रमीण) तथा अधिशासी अभियंता महोदय,लोक निर्माण विभाग मण्डल शिमला की सेवा में प्रेषित की जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल मुताबिक असल के सही है।

सचिव
ग्राम पंचायत सतलाई तह. व जि. शिमला
विकास खण्ड [illegible] (हि.प्र.)

President
Gram Panchayat Satlai
Development Block Mashobra
Distt. Shimla (H.P.)

5

कार्यालय वनाधिकार समिति ग्राम कटैंया मझार ग्राम पंचायत सतलाई विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला हि.प्र. ।

आज दिनांक 07/08/2016 को राजस्व ग्राम कटैंया मझार की वनाधिकार समिति की बैठक वनाधिकार मान्यता कानून 2006 के अंतर्गत वनाधिकार समिति अध्यक्ष श्री सेवक राम ठाकुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । उपस्थिति 10/10 रही। बैठक में बैठक में निम्न कार्यवाही अम्ल में लाई गई।

प्रतिलिपि प्र.सं.–2:–

विषय:– निर्माण सडक भराडिया से कटैंया मझार के अंतर्गत राजस्व ग्राम कटैंया मझार में लगने वाली वनक्षेत्र भूमि बारे विचार।

आज बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रखा गया जिसमें भराडिया से कटैया सडक निर्माण के अंतर्गत लगने वाली चक कटैंया मझार की वन भूमि का प्रयोग लोक निर्माण विभाग के द्वारा किये जाने बारे विचार विमर्श किया गया। यह कि उक्त सडक लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित है तथा बजट का प्रावधान कर दिया गया है। इस सडक के अधीन चक कटैंया मझार के अंतर्गत लगने वाली वन भूमि के उपयोग बारे विस्तृत चर्चा की गई।

विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि को लोक निर्माण विभाग को सडक हेतु देने बारे वन अधिकार समिति को कोई आपति नहीं है। इस भूमि से सडक का निर्माण होने से ग्राम कटैंया मझार के सभी लोगों को फायदा है। अतः उक्त वनभूमि को सडक निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लाने बारे वनाधिकार समिति ग्राम कटैंया मझार अपना अनापति प्रमाण पत्र जारी करती है। प्रस्ताव की प्रति आगामी कार्यवाही हेतु उप–मण्डलाधिकारी ना. महोदय, शिमला ग्रामीण तथा अधिशासी अभियंता महोदय, लोक निर्माण विभाग मण्डल शिमला की सेवा में प्रेषित की जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल मुताबिक असल के सही है।

प्रधान / सचिव
वन अधिकार समिति
ग्राम कटैंया मझार ग्रा० पं० सतलाई

कार्यालय वनाधिकार समिति ग्राम कटैंया मझार ग्राम पंचायत सतलाई विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला हि.प्र. ।

आज दिनांक 07/08/2016 को राजस्व ग्राम कटैंया मझार की वनाधिकार समिति की ग्राम सभा की बैठक वनाधिकार मान्यता कानून 2006 के अंतर्गत वनाधिकार समिति अध्यक्ष श्री सेवक राम ठाकुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । उपस्थिति 129 / 251 रही। बैठक में निम्न कार्यवाही अम्ल में लाई गई।

प्र.सं.–2:–

विषयः– निर्माण सडक भराडिया से कटैंया मझार के अंतर्गत राजस्व ग्राम कटैंया मझार में लगने वाली वनक्षेत्र भूमि बारे विचार।

आज बैठक में उपस्थित राजस्व ग्राम कटैंया मझार के ग्राम सभा सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रखा गया जिसमें भराडिया से कटैंया मझार सडक निर्माण के अंतर्गत लगने वाली चक कटैंया मझार की वन भूमि का प्रयोग लोक निर्माण विभाग के द्वारा किये जाने बारे विचार विमर्श किया गया। यह कि उक्त सडक लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित है तथा बजट का प्रावधान कर दिया गया है। इस सडक के अधीन चक कटैंया मझार के अंतर्गत लगने वाली वन भूमि के उपयोग बारे विस्तृत चर्चा की गई। इस सडक के निर्माण से सभी ग्राम वासियां को फायदा होगा। इस बारे वनाधिकार समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।

विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि को लोक निर्माण विभाग को सडक हेतु देने बारे ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। इस भूमि से सडक का निर्माण होने से ग्राम कटैंया मझार के सभी लोगों को फायदा है। । अतः उक्त वनभूमि को सडक निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लाने बारे ग्राम सभा वनाधिकार समिति ग्राम कटैंया मझार अपना अनापति प्रमाण पत्र जारी करती है। प्रस्ताव की प्रति आगामी कार्यवाही हेतु उप-मण्डलाधिकारी (ना.) महोदय, शिमला (ग्रामीण) तथा अधिशासी अभियंता महोदय, मण्डल शिमला की सेवा में प्रेषित की जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल मुताबिक असल के सही है।

प्रधान ... सचिव
वन अधिकार समिति
ग्राम कटैंया मझार ... ग्रा० पं० सतलाई

FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector
****

No. SML-SR (57)/2014 - 12-45 Dated: 12/12/16

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 02-31-39 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, PWD Shimla Shimla Division Shimla for Construction of link road Bharadia to Kataiya Majhar (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla-Rurall in Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 02-31-39 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure____ to ____annexure______.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above

(Rohan Chand Thakur)
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

3638
19/12/16

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMSSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 09-12-2016 at 4.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Ser-Dagoon, Darbhog forest area(s) 02-31-39 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla-Rural were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

OR

As informed by SDO (Civil) Shimla-Rural, no application was received from Gram Sabha claiming right in 02-31-39 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 09-121-2016

Deputy Commissioner-Cum- Chairman

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 09-12-2016 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur,IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.

All the cases which were placed before the committee has been approved to be processed under FCA.

The meeting ended with vote of thanks.

(A. K. VERMA) (Amit [illegible]) (H.K. Gupta)

([illegible]) ([illegible] Lal, DFO [illegible]) (B.L. [illegible], DFO)

(Anita Kenta) Z.P. member Chopal. ( ) ([illegible] Sen, Z.P. mb [illegible])

Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

Office of the Sub Divisional Officer (Civil), Shimla (R) District Shimla (HP)

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional level Committee constituted under Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right Act (FRA) 2006

A Meeting of the Sub Divisional Committee oif Shimla rural sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of **Sh. Gian Sagar Negi, SDO (Civil) Shimla Rural** on 07-12-2016 at 12: 00 AM/PM at Shimla (Place) in which the Applications submitted by applicants/Department of **President Forest Right Committee, Vill- Seri Dagon, Panchayat Darbhog** was discussed and recommended the same is to District Level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted.

S. NO.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	No claim from any body has been recieved	UPF Seri Dagon	Construction of road Bharadia to Kataiya Majhar, area measuring 02-31-39 Hect.

Claim of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S. NO.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			
2.			

OR

As informed by______________Gram Sabha on application was received claiming rights in ________________forest area.

Place: Shimla

Date: 07-12-2016

SDA (Civil) –Cum-Chairman/Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Annexture-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा राजस्व ग्राम सेरी-डगौन ग्रा० पं० दरभोग

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 05/08/2016.

प्रस्ताव संख्या 2

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा सैर-डगौन की बैठक आज दिनांक .... को 11.00 बजे स्थान सेर-डगौन में श्री / श्रीमति लायकराम की अध्यक्षता में की गई जिसमे सेर-डगौन गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत U-278 जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें हि०प्र० लो० नि० विभाग द्वारा मगाड़िया से कटैला-मझार सड़क के निर्माण के लिए 02-04-81 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। । वन अधिकारों के प्रस्तावी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया—

क०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	समस्त ग्रामवासी सैर-डगौन	U-278(सैर-डगौन)	वन परिक्षेत्र कोठी किता 26 रकबा 02-04-81 हैक्टेयर
2			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया —

क०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1 —	—
2 —	—

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को प्रारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

U-278 जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

प्रधान सचिव
वन अधिकार समिति
ग्रा० सेरी-ड़गौन ग्रा० पं० दरभोग

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा........

स्थान सैर-डगौन
दिनांक 05-08-2016

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

प्रधान सचिव
वन अधिकार समिति
ग्रा० सेरी-ड़गौन ग्रा० पं० दरभोग

Annexture-VI

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा सेरी-डगीन

विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 06-08-2016

गणपूर्ति 10/10 / 62/68 प्रस्ताव संख्या 2

विषय: लौंक-निर्माण विभाग/संस्था को भराड़िघ से कटैयाँ-मझार के निर्माण हेतु U-278 (सेरी-डगीन) परगना/वन क्षेत्र में प्रस्तावित कित्ता 26 रकबा तादादी 2-04-81 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा वन अधिकार समिति सेरी-डगीन की बैठक आज दिनांक 06-08-16 को 12:50 बजे, स्थान सेरी-डगीन की गई जिसमें लौक निर्माण विभाग/संस्था को भराड़िघ से कटैयाँ-मझार सड़क के निर्माण हेतु U-278 परगना/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2-04-81 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि को प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग की आवश्यकता को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटान पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों की निपटान सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित 2-04-81 हैक्टेयर वन भूमि को सड़क-निर्माण निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा ग्राम सेरी-डगीन की सहमति दी जाती है।

प्रधान — सचिव

वन अधिकार समिति

ग्रा0 सेरी-डगीन ग्रा0 पं0 दरमोग

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

स्थान सेरी-डगीन

दिनांक 06-08-2016

3 Annexure - V

344 348

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा............ दरभोग

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या......11.......... दिनांक....11-08-2016

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा....दरभोग..........की बैठक आज दिनांक ....11-08-2016.... को ..2.......बजे, स्थान......दरभोग.... में श्री / श्रीमती ....जोगिन्द्र सिंह.........की अध्यक्षता में की गई जिसमें ग्राम सेर-डगौना ....गांव/गांवों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत...U-278 (सेर डगौन)............जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें ...मराड़िया से कटैयां-मझार... के निर्माण के लिए....02-04-81.........हेक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह ग्राम पंचायत इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति गाँववासी सेर-डगौन का जंगल/वन क्षेत्र में.....सड़क निर्माण.............के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदानुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदानुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान....कार्यालय ग्राम पंचायत दरभोग।
दिनांक......11-08-2016

सचिव
ग्राम पंचायत एवं विकास अधि० दरभोग
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड मशोबरा
तह० व जिला शिमला (हि०प्र०)

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

कार्यालय ग्राम पंचायत दरभोग डा. दरभोग
विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला हि.प्र. ।

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्याः– 07

जो दिनांक 11-8-16 को ग्राम सभा की बैठक में प्रधान श्री जोगेन्द्र भारद्वाज की अध्यक्षता में 133 / 600 सदस्यों की उपस्थिति में पारित हुआ।

विषयः– निर्माण सड़क भराड़िया से कटैंया मझार के अंतर्गत लगने वाली वनक्षेत्र भूमि बारे विचार।

आज बैठक में उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों के समक्ष भराड़िया से कटैंया मझार सड़क निर्माण बारे प्रस्ताव रखा गया। यह कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित है। इस सड़क के अंतर्गत राजस्व सेरी डगैण या इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत दरभोग के अंतर्गत लगने वाली वनभूमि बारे ग्राम सभा सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया।

विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि को लोक निर्माण विभाग को सड़क हेतु अनुमति देने बारे ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपति नहीं है। इस भूमि से सड़क का निर्माण होने से ग्राम सेरी डगैण के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अन्य गांवों के लोगों को भी फायदा है। ।

अतः उक्त वनभूमि को सड़क निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लाने बारे ग्राम सभा दरभोग अपना अनापति प्रमाण पत्र जारी करती है तथा लोक निर्माण विभाग से अनुरोध करती है कि उक्त सड़क का निर्माण शीघ्रातीशीघ्र किया जाये। प्रस्ताव की प्रति आगामी कार्यवाही हेतु उप–मण्डलाधिकारी (ना) महोदय, शिमला (ग्रामीण) तथा अधिशासी अभियंता महोदय, मण्डल शिमला की सेवा में प्रेषित की जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल मुताबिक असल के सही है।

प्रधान / सचिव
ग्राम पंचायत दरभोग
वि०ख० मशोबरा, शिमला, हि०प्र०

कार्यालय वनाधिकार समिति ग्रम सेरी डगैण ग्रम पंचायत दरभोग विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला हि.प्र. ।

आज दिनांक 05/08/2016 को राजस्व ग्राम सेरी डगैण की वनाधिकार समिति की ग्रम सभा की बैठक वनाधिकार मान्यता कानून 2006 के अंतर्गत वनाधिकार समिति अध्यक्ष श्री लायकराम ठाकुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । उपस्थिति 62/68 रही। बैटक में बैठक में निम्न कार्यवाही अम्ल में लाई गई।

प्र.सं.–2:–

<u>विषयः– निर्माण सडक भराडिया से कटैंया के अंतर्गत राजस्व ग्रम सेरी डगैण में लगने वाली वनक्षेत्र भूमि बारे विचार।</u>

आज बैठक में उपस्थित राजस्व ग्रम सेरी डगैण के ग्रम सभा सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रखा गया जिसमें भराडिया से कटैंया सडक निर्माण के अंतर्गत लगने वाली चक सेरी डगैण की वन भूमि का प्रयोग लोक निर्माण विभाग के द्वारा किये जाने बारे विचार विमर्श किया गया। यह कि उक्त सडक लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित है तथा बजट का प्रावधान कर दिया गया है। इस सडक के अधीन चक सेरी–डगैण के अंतर्गत लगने वाली वन भूमि के उपयोग बो विस्तृत चर्चा की गई। इस सडक के निर्माण से सभी ग्रम वासियों को फायदा होगा। इस बारे वनाधिकार समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।

विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि को लोक निर्माण विभाग को सडक हेतु देने बारे ग्रमवासियों को कोई आपति नहीं है। इस भूमि से सडक का निर्माण होने से ग्रम सेरी डगैण के सभी लोगों को फायदा है। । अतः उक्त वनभूमि को सडक निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लाने बारे ग्रम सभा वनाधिकार समिति ग्रम सेरी डगैण अपना अनापति प्रमाण पत्र जारी करती है। प्रस्ताव की प्रति आगामी कार्यवाही हेतु उप–मण्डलाधिकारी ना. महोदय, शिमला ग्रमीण तथा अधिशासी अभियंता महोदय, मण्डल शिमला की सेवा में प्रेषित की जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल मुताबिक असल के सही है।

प्रधान
वन अधिकार समिति
ग्रा0 सेरी-ड्गौन ग्रा0 पं0 दरभोग

सचिव

कार्यालय वनाधिकार समिति ग्रम सेरी डगौन ग्रम पंचायत दरभोग विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला हि.प्र. ।

आज दिनांक 5/8/2016.... को राजस्व ग्राम सेरी डगौन की वनाधिकार समिति की बैठक वनाधिकार मान्यता कानून 2006 के अंतर्गत वनाधिकार समिति अध्यक्ष श्री लायकराम ठाकुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । उपस्थिति 10/10 रही। बैटक में बैठक में निम्न कार्यवाही अम्ल में लाई गई।

प्र.सं.–2:–

विषयः– निर्माण सडक भराडिया से कटैंया के अंतर्गत राजस्व ग्रम सेरी डगौन में लगने वाली वनक्षेत्र भूमि बारे विचार।

आज बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रखा गया जिसमें भराडिया से कटैंया सडक निर्माण के अंतर्गत लगने वाली चक सेरी-डगौन की वन भूमि का प्रयोग है लोक निर्माण विभाग के द्वारा किये जाने बारे विचार विमर्श किया गया। यह कि उक्त सडक लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित है तथा बजट का प्रावधान कर दिया गया है। इस सडक के अधीन चक सेरी–डगौन के अंतर्गत लगने वाली वन भूमि के उपयोग बो विस्तृत चर्चा की गई।

विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि को लोक निर्माण विभाग को सडक हेतु देने बारे वन अधिकार समिति को कोई आपति नहीं है। इस भूमि से सडक का निर्माण होने से ग्रम सेरी डगौन के सभी लोगों को फायदा है। । अतः उक्त वनभूमि को सडक निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लाने बारे वनाधिकार समिति ग्रम सेरी डगौन अपना अनापति प्रमाण पत्र जारी करती है। प्रस्ताव की प्रति आगामी कार्यवाही हेतु उप–मण्डलाधिकारी ना. महोदय, शिमला ग्रमीण तथा अधिशासी अभियंता महोदय, मण्डल शिमला की सेवा में प्रेषित की जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल मुताबिक असल के सही है।

प्रधान सचिव
वन अधिकार समिति
ग्रा0 सेरी-डगौन ग्रा0 पं0 दरभोग

No. SML-SR-Acq. (57)/2018--
Office of the Deputy Commissioner,
Shimla District Shimla, H.P.

Dated Shimla 171001, the th January, 2018

CORRIGENDUM

In partial modification of this office letter No. SML-SR-. (57)/2014-1244 & 1245 dated 12-12-2016, vide which the Forest Right Act Certificate was issued in favour of the Executive Enginner, Shimla Division HP PWD, Shimla for the construction of Bharadia (Seri) to Katenya- Majhar in Village Sair- Dagaon & Darbhog Tehsil Shimla-Rural. The total area involved in the case as recommended by the Sub-Division level Forest Rights Committee Shimla-Rural may be read as 2-93-25 hect. instead of 3-79-96 Hect.

sd/-
Collector,
Shimla District Shimla

Endst. No. SML-SR-Acq(57)/2015- 1761-62 Dated 19. 1. 2018
Copy to:-

1. The Sub-Divisional Officer (Civil) –Cum- Chairman Sub-Division Level Forest Rights Committee, Shimla-Rural for information
2. The Executive Engineer, HPPWD Shimla Division, Shimla for information.

Collector,
Shimla District Shimla